हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2017

संख्या लैज. 9/2017.– दि हरियाणा कैटल फेयरज (ॲमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा पशु मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017

हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970

को आगे संशोधित

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पशु मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 1970 के हरियाणा अधिनियम 30 में धारा 4क का रखा जाना।

''4क. पशु मेले के लिए स्कीम.– राज्य सरकार ऐसे निबन्धन और शर्तों, जो विहित की जाएं पर किसी एजैंसी के माध्यम से पशु मेले आयोजित करने और संचालित करने के लिए स्कीम बना सकती है। स्कीम में फीस के संग्रहण के लिए प्रक्रिया और रीति विनिर्दिष्ट होगी जिसमें वसूले गए धन पशु मेले निधि में जमा करवाए जाएंगे।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,– 1970 के हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 16 का संशोधन।

(i) उप–धारा (3) में, ''उपायुक्त द्वारा'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(4) उप–धारा (3) में निर्दिष्ट प्रभारों और व्ययों के संदाय के बाद, पशु मेला निधि का अतिशेष, पशु या पशुपालन के विकास और उनके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपयोग में लाया जाएगा।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55372—L.R.—H.G.P., Chd.